न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या – 28/2024
जीसीएमएस सख्या – 2024/128

प्रार्थी :–

नारायणराम पुत्र बद्रीप्रसाद, उम्र 37 वर्ष, जाति पालीवाल, निवासी चिडवाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. श्रीमती सुआ पत्नी श्री मोहनलाल, जाति पालीवाल, निवासी चिडवाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत खुडियाला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत चिड़वाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध ग्राम चिड़वाई के आवासीय भूमि पट्टा संख्या 48 मिसल संख्या 67/2013–14, संकल्प संख्या 1 दिनांक 05.06.2014 जो तात्कालिक ग्राम पंचायत खुडियाला, पंचायत समिति बालेसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी किया गया।

पंचायत निगरानी संख्या – 29/2024
जीसीएमएस सख्या – 2024/127

प्रार्थी :–

नारायणराम पुत्र बद्रीप्रसाद, उम्र 37 वर्ष, जाति पालीवाल, निवासी चिडवाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मोहनराम पुत्र श्री प्रेमाराम, जाति पालीवाल, निवासी चिडवाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत खुडियाला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत चिड़वाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध ग्राम चिड़वाई के आवासीय भूमि पट्टा संख्या 26 मिसल संख्या 45/2013–14, संकल्प संख्या 1 दिनांक 05.06.2014 जो तात्कालिक ग्राम पंचायत खुडियाला, पंचायत समिति बालेसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:33 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत निगरानी संख्या – 30/2024
जीसीएमएस सख्या – 2024/126

प्रार्थी :–

नारायणराम पुत्र बद्रीप्रसाद, उम्र 37 वर्ष, जाति पालीवाल, निवासी चिडवाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. श्रीमती रूपोदेवी पत्नी भंवरलाल, जाति पालीवाल, निवासी चिडवाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत खुडियाला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत चिड़वाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध ग्राम चिड़वाई के आवासीय भूमि पट्टा संख्या 34 मिसल संख्या 53/2013–14, संकल्प संख्या 1 दिनांक 05.06.2014 जो तात्कालिक ग्राम पंचायत खुडियाला, पंचायत समिति बालेसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी किया गया।

पंचायत निगरानी संख्या – 31/2024
जीसीएमएस सख्या – 2024/125

प्रार्थी :–

नारायणराम पुत्र बद्रीप्रसाद, उम्र 37 वर्ष, जाति पालीवाल, निवासी चिडवाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल, जाति पालीवाल, निवासी खुडियाला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत खुडियाला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
3. ग्राम पंचायत चिड़वाई, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध ग्राम चिड़वाई के आवासीय भूमि पट्टा संख्या 47 मिसल संख्या 66/2013–14, संकल्प संख्या 1 दिनांक 05.06.2014 जो तात्कालिक ग्राम पंचायत खुडियाला, पंचायत समिति बालेसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया (प्रार्थी की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री रामसुख शर्मा व [illegible] (अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:33 IST
Reason: SelfAttested

आदेश **दिनांक : 28.02.2025**

1. विचाराधीन चारों निगरानियाँ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत, ग्राम पंचायत खुडियाला, पंचायत समिति बालेसर द्वारा ग्राम चिड़वाई की आबादी भूमि पर जारी आवासीय भूमि पट्टा संख्या 26, 34, 47 व 48 दिनांक 05.06.2014 को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थी नारायणराम ने दिनांक 23.05.2018 को पेश की है।
2. उक्त चारों निगरानियों को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया तथा ग्राम पंचायत खुड़ियाला द्वारा जारी उक्त पट्टों से सम्बन्धित अभिलेख मंगवाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री रामसुख शर्मा व राकेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया।
3. निगरानी प्रार्थना–पत्रों में वर्णित अभिकथनों, ग्राम पचांयत से प्राप्त अभिलेखों का अवलोकन करने से, इन चारों निगरानियों में पट्टे जारी करने की कार्यवाहियों में ग्राम पंचायत ने विभिन्न चरणों में एक ही तारीख को संकल्प पारित किये है तथा प्रकरण के तथ्य समान प्रकृति के है तथा समान विधिक प्रश्न अन्तर्वलित होने से इन चारों निगरानियों का विनिश्चय एक ही समान निर्णय से किया जाना न्यायिक प्रक्रिया व सुविधा की दृष्टि से उचित होने से कॉमन निर्णय से उभयपक्षों की सहमति से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावें।
4. प्रकरणों के संक्षिप्त व सारवान तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार ने निगरानी पेश कर कथन किया है कि उसका ग्राम चिड़वाई की राजकीय भूमि खसरा सख्या 189 में 15 बिस्वा भूमि पर पीढ़ियों से कब्जा है, जिसमें प्रार्थी का पशुबाड़ा, चारदीवारी लगाकर बना हुआ है जिसमें एक आवासीय ओरा बना हुआ है, जिसे नियमन करने हेतु प्रार्थना–पत्र तहसीलदार बालेसर के समक्ष चार वर्ष से लम्बित है। खसरा नम्बर 189 रकबा 3–09 बीघा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं है तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 का उस पर कोई कब्जा नहीं है। अप्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत से मिलकर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत गैर कानूनी तरीके से पट्टे बनवाये है जबकि प्रार्थी का उस भूमि पर बहुत पहले से ही कब्जा है तथा उसके विरूद्ध तहसीलदार बालेसर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत् अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की है तथा प्रार्थी का कब्जा नियमन योग्य है। खसरा नम्बर 189 की भूमि आबादी भूमि नहीं है, अतः ग्राम पंचायत को उक्त भूमि को आवंटन, नियमन, विक्रय करने का अधिकार नहीं है अतः जारी किए गए पट्टे क्षेत्राधिकार से बाहर होने से निरस्त योग्य है तथा इस भूमि पर 1996 के नियम लागू नहीं होने से नियम–157 के तहत पट्टे ग्राम पंचायत जारी नहीं कर सकती। अतः ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड मंगवाकर, निगरानीधीन पट्टे निरस्त किए जावें।
5. उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 10.02.2025 को सुनी जाकर पत्रावलियाँ दिनांक 28.02.2025 को आदेश हेतु रखी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:33 IST
Reason: SelfAttested

6. निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता श्री एल0 आर0 पूनिया ने प्रार्थना–पत्र में अंकित अभिकथनों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि ये चारों पट्टे राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम–157 के तहत जारी किए है, जबकि यह भूमि आबादी भूमि नहीं है। प्रार्थी का मौके पर कब्जा है तथा उसके विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की गई है, जिसके समर्थन में उन्होनें तहसीलदार बालेसर द्वारा मुकदमा नम्बर 340/2016 में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2016 की फोटोप्रति, पटवारी हल्का की धारा 91 की रिपोर्ट तथा जारी नोटिस दिनांक 17.10.2016 की फोटोप्रतियाँ पेश की। जिसमें खसरा नम्बर 189 की 15 बिस्वा भूमि पर प्रार्थी का बाड़ा बनाने से कब्जा दर्शाया है फिर भी ग्राम पंचायत ने इसी भूमि पर दिनांक 05.06.2014 को पट्टे जारी कर दिए तथा पट्टे जारी करने में 1996 के नियम 145 की पालना नहीं की है, जिसमें प्रार्थना–पत्र व नक्शा व मौका फीस वसूल नहीं की है। पंचायत के रिकॉर्ड में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अप्रार्थीगण के पुराने कब्जे बाबत् कोई सबूत मिसलों में सलंग्न नहीं है, बिना पुराना कब्जा साबित किए, नियम 157 के तहत नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। नियम 144 में भूमि पट्टी आवंटन का प्रावधान है। ग्राम पंचायत ने सरकारी भूमि की हेराफेरी की है। अप्रार्थीगण ने कब्जे के समर्थन में वोटरलिस्ट, राशनकार्ड इत्यादि का कोई सबूत पेश नहीं किया है। नियमों के आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की है, इसके विपरीत प्रार्थी ने धारा 91, राजस्थान भू राजस्व एक्ट के तहत् की गई कार्यवाही के अभिलेख पेश कर कब्जे को साबित कर दिया है। ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के कथनों का खण्डन नहीं किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जावें।

7. इसके विपरीत अप्रार्थीगण संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश शर्मा ने बहस में कथन किया कि ग्राम चिड़वाई का खसरा संख्या 189 का रकबा 3–09 बीघा है, जिस पर प्रार्थी ने सिर्फ 15 बिस्वा पर कब्जा होने का कथन किया है। पट्टों के संलग्न नक्शें है। जिसमें अपीलान्ट का कब्जा, मोहनलाल के पट्टे की पूर्व दिशा में दर्शाया है, दक्षिण दिशा में रास्ता है अन्य पड़ौस भी दर्शाये है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही समाज के है तथा पारिवारिक विवाद के कारण, अप्रार्थीगण को नुकसान कारित करने की नियत से ये निगरानियाँ देरी से पेश की है ताकि अप्रार्थीगण को हैरान–परेशान किया जा सके।

ग्राम पंचायत ने पट्टे खसरा नम्बर 189 की आबादी भूमि में ही जारी किए है। खसरा नम्बर 189 रकबा 3–09 बीघा भूमि जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 12.8.2002 से ग्राम पंचायत खुड़ियाला को आबादी प्रयोजनार्थ आवंटित की है, जिसकी पालना में ग्राम चिड़वाई का नामान्तरकरण संख्या 739 दिनांक 29.08.2002 को स्वीकार हुआ तथा ग्राम पंचायत के नाम भूमि आबादी में दर्ज हुई है। उन्होनें कलक्टर जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.08.2002, नामान्तरकरण संख्या 739 व जमाबन्दी ग्राम चिड़वाई, सम्वत् 2078–81, खाता संख्या 346 की फोटोप्रतियाँ पेश की, जिसके अनुसार खसरा संख्या 189 रकबा 3–09 [illegible] ग्राम पंचायत चिड़वाई के नाम खातेदारी में दर्ज है। [illegible] आबादी भूमि में पट्टे जारी करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:33 IST
Reason: SelfAttested

की शक्तियाँ थी। ग्राम पंचायत ने मौके पर अप्रार्थीगण के कब्जे की जांच करने के बाद ही भूमि का नियमन किया है। अतः प्रार्थी की निगरानियाँ खारिज की जावे।

8. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए, प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि पट्टे जारी करने हेतु नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने का दायित्व ग्राम पंचायत का है। खसरा नम्बर 189 की भूमि की किस्म जमाबन्दी में आज भी बारानी प्रथम दर्ज है। हो सकता है, आबादी में जो भूमि परिवर्तित की है, वह अन्य भूमि हो या उसका भाग हो। नियमों के आज्ञात्मक प्रावधानों के उल्लंघन बाबत् अप्रार्थीगण ने कोई कथन नहीं किया है।

 इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि उन्होनें जमाबन्दी की नकल पेश कर दी है तथा नियमों की पालना करने का भार ग्राम पंचायत पर है। अप्रार्थीगण का पट्टे की भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जा है, किसी प्रकार का कोई विवाद, झगड़ा नहीं है तथा न ही कोई कानूनी कार्यवाही कहीं पर विचाराधीन है। अतः निगरानियाँ खारिज की जावें।

9. हमने पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेखों, ग्राम पचांयत से प्राप्त मूल अभिलेखों का भलीभांति अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण बहस के कथनों एवं तर्कों पर गंभीरता से मनन किया तथा सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों का अवलोकन कर परिशीलन किया। हमारा विनिश्चय इस प्रकार है :–

10. निगरानीकार ने निम्न विवरण की निगरानियाँ पेश की है –

(अ) पट्टा संख्या – 26, बुक संख्या – 27, मिसल संख्या – 45 / 2013–14, संकल्प संख्या –1 दिनांक – 05.6.2014, ग्राम पंचायत खुडियाला, बहक – मोहनलाल पुत्र प्रेमाराम, क्षेत्रफल – 366.66 वर्गगज।

(ब) पट्टा संख्या – 34, बुक संख्या – 27, मिसल संख्या – 53 / 2013–14, क्षेत्रफल – 303.33 वर्गगज, बहक – रूपो देवी पत्नी श्री भंवरलाल।

(स) पट्टा संख्या – 47, बुक संख्या – 27, मिसल संख्या – 66 / 2013–14, क्षेत्रफल – 300 वर्गगज, बहक – ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल एवं

(द) पट्टा संख्या – 48, बुक संख्या – 27, मिसल संख्या – 67 / 2013–14, क्षेत्रफल – 300 वर्गगज, बहक – सुआ पत्नी मोहनलाल।

11. (a) ग्राम पंचायत खुड़ियाला की बैठक कार्यवाही दिनांक 20.1.2014 अनुसार प्रस्ताव संख्या 2 में अंकित है कि ग्राम पंचायत के विभिन्न राजस्व ग्रामों में आबादी भूमि में बसे पुश्तैनी मकानों हेतु आवेदन लेने का निर्णय लिया गया, जिसमें कुल 69 अभ्यर्थियों के नाम अंकित है तथा क्रम संख्या 45 पर मोहनराम पुत्र प्रेमाराम, क्रम संख्या 53 पर रूपो देवी पत्नी भंवरलाल, क्रमांक 66 पर ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल तथा क्रमांक 67 पर सुआ पत्नी मोहनलाल का नाम अंकित हैं, जो वर्तमान निगरानियों में अप्रार्थीगण है।

 इस बैठक में 69 आवेदनकर्ताओं को पुराना कब्जा सुदा मकान व बाड़ा का नियमितिकरण करने का अनुमोदन किया गया। बैठक में मिसलें खोलने तथा आवेदन शुल्क रूपये 10, नक्शा शुल्क 2 रूपये तथा मौका फीस 25 रूपये

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:33 IST
Reason: SelfAttested

वसूलने का निर्णय भी लिया गया तथा तीन सदस्यों की कमेटी मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने हेतु गठित की गई।

(b) पंचायत बैठक दिनांक 5.2.2014 के प्रस्ताव संख्या तीन में कमेटी द्वारा प्रस्तुत मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने का उल्लेख है तथा संतुष्टि उपरान्त नियम 148 के तहत् प्रपत्र–22 में एक माह की आपत्ति आमंत्रित सूचना जारी करने का अंकन है, परन्तु इसमें कौन–कौन सी मिसलें पेश हुई, इसका उल्लेख नहीं है। मिसल संख्या 1 से .... तक मौका रिपोर्ट पेश हुई है, का ही उल्लेख है।

(c) पंचायत बैठक दिनांक 20.5.2014 के प्रस्ताव संख्या 1 में अंकित है कि एक माह की अवधि में मिसल संख्या 1 से .... तक में कोई आपत्ति पेश नहीं हुई तथा प्रकरण के दो पड़ौसियों के बयान लिए जावे तथा सह खातेदार की सहमति लेने का निर्णय भी अंकित है।

(d) दिनांक 5.6.2014 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 01 आबादी भूमि में पट्टे जारी करने से सम्बन्धित ही नहीं है। यह प्रस्ताव पथरीली भूमि खान प्रयोजनार्थ में स्थानीय लोगों को लाभ देने बाबत् राज्य सरकार से निवेदन करने बाबत् है, जबकि निगरानियों के अधीन जारी चारों पट्टों में प्रस्ताव संख्या–1 का ही अंकन है।

वस्तुतः प्रस्ताव संख्या–2 में मिसल संख्या–1 से 69 तक में पुराने कब्जों बाबत् नियम–157 के तहत् नियमानुसार राशि लेकर पट्टे जारी करने हेतु पदेन सचिव को निर्देशित किया है।

(e) ग्राम पंचायत द्वारा पारित उक्तानुसार प्रस्तावों के तहत ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन प्रकरणों में की गई कार्यवाही में निम्न अनियमिताए पाई गईः–

(i) उक्त चारों निगरानीधीन पट्टे प्राप्त करने में आवेदनकर्ताओं ने अपने प्रार्थना–पत्रों में पुराने कब्जे के समर्थन में सिर्फ पुश्तैनी आधिपत्य अंकित कर, भूमि प्राप्त करने का अभिप्राय 'पट्टा' अंकित किया है तथा पुराने गृह/मकान बने होने का कोई सबूत पेश नहीं किया है तथा न ही प्रार्थना–पत्र में अंकित किया है। जबकि राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम–157 के तहत् नियमितीकरण सिर्फ पुराना गृह/मकान बना होने पर ही करने का प्रावधान है। खाली भूखण्ड का नियमन नहीं किया जा सकता।

(ii) पत्रावलियों की आदेशिका दिनांक 20.01.2014 में आवेदन शुल्क, नक्शा फीस, मौका निरीक्षण फीस जमा होने के सबूत बाबत् रसीद संख्या एवं दिनांक अंकित नहीं है, बल्कि पूर्व में ही निर्धारित मानक प्रारूप में छपी–छपाई आर्डर शीट का उपयोग किया है, जिसमें भूमि आवंटन के कई विकल्प छपे है तथा हैरानी यह है कि शुल्क वसूलने की तारीख 5.6.2014 अंकित है, जो दिनांक 20.1.2014 की ऑर्डर शीट में कैसे संभव है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब कार्यवाही खानापूर्ति के लिए बाद में की है।

(iii) ऑर्डरशीट दिनांक 5.2.2014 में प्रस्ताव संख्या–02 का अंकन है, जो बैठक कार्यवाही विवरण से मेल नहीं खाता है। इस ऑर्डरशीट में कमेटी की मौका निरीक्षण रिपोर्ट का अंकन है। मौका रिपोर्ट दिनांक 20.1.2014 को ही तैयार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:33 IST
Reason: SelfAttested

गई है अर्थात् 20.1.2014 को ग्राम पंचायत ने कमेटी नियुक्त की तथा 69 प्रकरणों में एक ही दिन, 20.1.2014 को ही एक ही कमेटी के सदस्यों ने सभी पत्रावलियों की भूमि का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की है, जो व्यवहारिक दृष्टि से कतई संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त कमेटी ने नियमन/पुरानागृह/मकान होने बाबत् कोई स्पष्ट सिफारिश नहीं की है तथा छपे–छपाये प्रारूप पर हस्ताक्षर कर खानापूर्ति की है। मौके पर किस प्रकार का, कितने क्षेत्रफल गृह/मकान बना हुआ है, इसका रिपोर्ट में कोई अंकन ही नहीं है। प्रपत्र में मूल्यांकन के सम्बन्ध में भूमि की रेट क्रमशः 366.66/300/303/रूपये प्रति वर्गगज बताई है तथा भूमि का विक्रय सार्वजनिक नीलामी से करने की सिफारिश की है अर्थात् कमेटी ने भूमि के नियमन की सिफारिश नहीं की है, फिर भी पंचायत की बैठक कार्यवाही में इसका गलत उल्लेख किया है।

(iv) सार्वजनिक आपत्तियाँ मांगने का नोटिस दिनांक 5.2.2014 को जारी किया है। ये नोटिसेज ग्राम पंचायत कार्यालय, सम्बन्धित भूमि प्लॉट पर किस तारीख को, किन–किन मौतबिरान के सामने मौके पर चस्पा किये है, इसका कोई उल्लेख नोटिस की प्रति पुश्त पर अंकित नहीं है तथा ये नोटिस किसने चस्पा किए है, इस बाबत् नोटिस पर किसी पंचायत कर्मचारी के हस्ताक्षर, नाम पद वगैरा अंकित नहीं है, जो एक गंभीर वैधानिक अनियमितता है। तीन प्रकरणों में नोटिस की पुश्त पर मात्र दो व्यक्तियों के बिना दिनांक हस्ताक्षर है। मोहनलाल के मामले में यह भी नहीं है।

(v) इसके अतिरिक्त मोहनलाल के प्रकरण में मोहनलाल द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित पड़ौस व पट्टे में अंकित पड़ौस मेल नहीं खाते है तथा मोहनलाल को 366.66 वर्गगज का खाली भूखण्ड का पट्टा मात्र 200 रूपये शुल्क लेकर जारी किया है, जो नियम 157 के प्रावधानों का स्पष्टतः उल्लंघन है।

(vi) मोहनलाल पुत्र प्रेमाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 26, क्षेत्रफल 366.66 वर्गगज तथा मोहनलाल की पत्नी सुआदेवी के पक्ष में पट्टा संख्या 48 क्षेत्रफल 300 वर्गगज का 200–200 रूपये वसूल कर जारी किए है। पति–पत्नी दोनों को कुल 666.66 वर्गगज खाली भूमि का पट्टा नाम मात्र का शुल्क लेकर जारी करना नियम विरूद्ध है।

(vii) इस प्रकार ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल को पट्टा संख्या 47 क्षेत्रफल 300 वर्गगज खाली भूमि का तथा ओमप्रकाश की माता रूपोदेवी पत्नी भंवरलाल के नाम भी 303.33 वर्गगज खाली भूमि का पट्टा संख्या 44 जारी किया है, जबकि अलग–अलग परिवार होने का कोई अभिलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

उक्त चारों प्रकरणों में इस न्यायालय में भी पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड पर पुराना गृह/मकान निर्मित होने का कोई सबूत पेश नहीं किया है, जो 31.12.1996 से पूर्व पचास वर्षों की अवधि का हो तथा न ही पंचायत की मूल पत्रावलियों में ऐसा कोई सबूत उपलब्ध है। अतः खाली भूखण्डो का नियम 157 के प्रावधानों के तहत पट्टा जारी करना स्वतः अवैध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:33 IST
Reason: SelfAttested

(a.) DB SAW 1086/2008 नवलाराम बनाम राजस्थान राज्य (Rajasthan High Court Jodhpur), निर्णय दिनांक 29.01.2009,

(b.) SB CWP No. 8148/2012, निर्णय दिनांक 25.11.2016, (शांतिदेवी बनाम राजस्थान राज्य), Rajasthan High Court Jodhpur

(c.) DB SAW No. 149/2019, निर्णय दिनांक 27.2.2020, ललित कुमार बनाम स्टेट

(d.) SB CWP No. 5206/2016, निर्णय दिनांक 21.9.2016, मिश्रीमल बनाम राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

उक्त प्रकरणों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पुराना कब्जा साक्ष्य से साबित करना अनिवार्य है।

12. प्रार्थी ने कथन किया है कि ग्राम चिड़वाई का खसरा नम्बर 189 रकबा 3–09 बीघा राजकीय भूमि है तथा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि नहीं है, अतः ग्राम पंचायत को राजकीय भूमि पर पट्टे जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से निगरानीधीन पट्टे निरस्त योग्य है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम चिड़वाई के खसरा नम्बर 189 रकबा 3–09 बीघा को जिला कलक्टर, जोधपुर के आवंटन आदेश दिनांक 12.8.2002, नामान्तरकरण संख्या 739 व जमाबन्दी खाता संख्या 346 अनुसार यह भूमि आबादी में होना प्रथम दृष्ट्या लगती है तथा प्रार्थी ने अपना कब्जा खसरा नम्बर 189 में होना बताकर धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् कार्यवाही में पारित आदेश दिनांक 7.11.2016 की प्रति पेश की है, परन्तु निगरानी में तहसीलदार को पक्षकार ही नहीं बनाया। हालांकि आबादी भूमि पर अवैध कब्जा होने पर तहसीलदार को धारा 91 के तहत अतिक्रमियों के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही करने का अधिकार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 95(7) के तहत आबादी भूमि में प्राप्त है। अतः प्रार्थी के कथनों मात्र से खसरा नम्बर 189 की भूमि को सिवायचक नहीं माना जा सकता, हालांकि खसरा नम्बर 189 व आसपास की अन्य भूमि के सम्बन्ध में सीमांकन विवाद से भी इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने ऐसा कोई अभिलेख पेश नहीं किया है, जिससे प्रार्थी का नियमन का प्रकरण तहसीलदार के समक्ष लम्बित होना साबित हो। प्रार्थी ने सिर्फ एक कृषि वर्ष 2073 के अतिक्रमण का ही रिकॉर्ड पेश किया है, उसमें 15 बिस्वा (1452 वर्गगज) पर बाड़ा बताया है, किसी प्रकार का गृह/मकान निर्मित होना नहीं बताया है, जिससे उसका प्रकरण नियम 1996 के नियम 157 के तहत नियमितीकरण योग्य हो तथा न ही ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन किया है। प्रार्थी अपने पक्ष में सिर्फ भूमि पर पशु का बाड़ा बना होने के आधार पर 1452 वर्गगज भूमि पर पट्टा चाहता है, जिसका नियमों में कोई प्रावधान ही नहीं है। अतः प्रार्थी के कथन साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार किए जाते है।

13. उपर्युक्त विवेचनानुसार ग्राम पंचायत खुड़ियाला द्वारा जारी उक्त विवरण के चारों पट्टे निरस्त करने योग्य है तथा चारों निगरानियाँ स्वीकार योग्य है। फलस्वरूप उक्त विवरण की चारों निगरानियाँ स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत खुड़ियाला द्वारा जारी निम्न विवरण के पट्टे व पारित प्रस्ताव अपास्त किये जाते है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:33 IST
Reason: SelfAttested

1. पट्टा संख्या – 26, पुस्तक संख्या – 27, मिसल संख्या – 45 / 2013–14, संकल्प संख्या – 2, दिनांक – 05.06.2014, बहक – मोहनलाल पुत्र प्रेमाराम, क्षेत्रफल – 366.66 वर्गगज,
2. पट्टा संख्या – 34, पुस्तक संख्या – 27, मिसल संख्या – 53 / 2013–14, संकल्प संख्या – 2, दिनांक – 05.06.2014, बहक – रूपोदेवी पत्नी भंवरलाल, क्षेत्रफल – 303.33 वर्गगज,
3. पट्टा संख्या – 47, पुस्तक संख्या – 27, मिसल संख्या – 66 / 2013–14, संकल्प संख्या – 2, दिनांक – 05.06.2014, बहक – ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल, क्षेत्रफल – 300 वर्गगज तथा
4. पट्टा संख्या – 48, पुस्तक संख्या – 27, मिसल संख्या – 67 / 2013–14, संकल्प संख्या – 2, दिनांक – 05.06.2014, बहक – सुआदेवी पत्नी मोहनलाल, क्षेत्रफल – 300 वर्गगज।

14. रजिस्टर्ड पट्टो को निरस्त करने बाबत् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में ही अभिनिर्धारित किया जा चुका है, जिसके अनुसार निगरानी में रजिस्टर्ड पट्टे निरस्त करने में कोई अड़चन नहीं है, जैसा कि झूमरराम बनाम ए0डी0एम0 (II) जोधपुर DB SAW No. 657/2017, निर्णय दिनांक 15.12.2017, राज0 उच्च न्यायालय, जोधपुर, कमलादेवी बनाम राज्य DB SAW No. 316/2017, निर्णय दिनांक 27.03.2017, नागरमल बनाम अति0 कलक्टर, सीकर (2013(1) WLC (Raj.)) 768 पैरा–6, Municipal Council पाली बनाम दीनदयाल–DB SAW-No. 485/2013, निर्णय दिनांक 16.7.2015 में पारित निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है।
15. निर्णय की प्रतियाँ उक्त चारों निगरानी पत्रावलियों में संलग्न की जावें तथा निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को तुरन्त लौटाया जावें।
16. पत्रावलियाँ बाद तामिल व तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 28.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:53:33 IST
Reason: SelfAttested